राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1669 दिनांक 12/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 298 / 2016 अनवान बाबूराम वगैरा बनाम पूनमा वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 05.07.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास *श्री भागीरथराम आर.ए.एस.*

1.बाबूराम 2.सावलाराम 3.प्रेमाराम पि. शिवाराम 4.लीलादेवी पत्नि शिवाराम 5.सेवा पुत्र रूपी 6.मंगलाराम 7.भीमाराम 8.केवाराम 9.रमेश पि.बीजलाराम 10.ओखी पत्नि बीजलाराम 11.सगता 12.हीरा पि.माधा, जाति रबारी, निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा

बनाम

1.पूनमा पुत्र महेन्द्रा 2.राजाराम 3.अर्जनराम 4.बालकाराम 5.मोतीराम पि. सगता 6.देवू पत्नि सगता जाति रबारी निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा 7.तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत 188,209 RT Act.

मुकदमा नं. 298/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री पवन धारीवाल** एड. मिनजानिब मुदाई व श्री ....एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा फकीरों का निवाण तहसील सेड़वा** के खसरा सं. 18 **रकबा 81.05 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय** के आदेशों तक **प्रतिवादीगण वादीगण के खेत में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे तथा नही किसी प्रकार की** दखलनदाजी **या हस्तक्षेप करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखने की स्थायी निषेधाज्ञा** से पाबन्द किया जाता है। **तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना** सुनिश्चित करावे। .... बीज .... मबलिग .. .. बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 5/7/17 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 298/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188,209 रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.बाबूराम 2.सावलाराम 3.प्रेमाराम पि. शिवाराम
4.लीलादेवी पत्नि शिवाराम 5.सेवा पुत्र रूपी
6.मंगलाराम 7.भीमाराम 8.केवाराम 9.रमेश
पि.बीजलाराम 10.ओखी पत्नि बीजलाराम
11.सगता,12.हीरा पि.माधा, जाति रबारी
निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूनमा पुत्र महेन्द्रा 2.राजाराम 3.अर्जनराम
4.बालकाराम 5.मोतीराम पि. सगता 6.देवू
पत्नि सगता जाति रबारी
निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा
7.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

निर्णय

दिनांक :– 05.07.2017

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 18 रकबा 81.05 बीघा आयी हुई है। वादग्रस्त पर वादीगण की रहवासी ढाणी, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े, चाराबाड़े आदि बने हुए है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी खातेदारी की आराजी है तथा जिस पर वादीगण का निर्विवाद लगातार काश्त कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त विवादाग्रस्त खेत के पश्चिमी सेड़ा की तरफ खसरा सं. 55 के सेड़ा पड़ौसी है जो बहुत ही झगड़ालू प्रवृति के है। जो वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर वादीगण के काश्त कब्जा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

1.बाबूराम 2.सावलाराम 3.प्रेमाराम पि. शिवाराम 4.लीलादेवी पत्नि शिवाराम 5.सेवा पुत्र रूपी 6.मंगलाराम 7.भीमाराम 8.केवाराम 9.रमेश पि.बीजलाराम 10.ओखी पत्नि बीजलाराम 11.सगता 12.हीरा पि.माधा, जाति रबारी, निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा

बनाम

1.पूनमा पुत्र महेन्द्रा 2.राजाराम 3.अर्जनराम 4.बालकाराम 5.मोतीराम पि. सगता 6.देवू पत्नि सगता जाति रबारी निवासी फकीरों का निवाण, तहसील सेड़वा 7.तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत **188,209 RT Act.**

मुकदमा नं. 298/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री पवन धारीवाल** एड. मिनजानिब मुदाई व श्री ....एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा फकीरों का निवाण तहसील सेड़वा** के खसरा सं. **18** रकबा **81.05 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय** के आदेशों तक **प्रतिवादीगण वादीगण के खेत में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे तथा नही किसी प्रकार की** दखलनदाजी **या हस्तक्षेप करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखने की स्थायी निषेधाज्ञा** से पाबन्द **किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** .... बीज .... मबलिग .. .. बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 5/7/17 को जारी की गई।

दस्तखत........ सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।